बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना

नया सचिवालय, तीसरा तल्ला, कमरा संख्या 330 (A)
बेली रोड, पटना 800 015, (बिहार)
फोन नंबर: 0612-2215001 ईमेल आई.डी.: registar.bnrc@gmail.com

सं०सं० 58/बी.एन.आर.सी./2023/........ दिनांक......../......../2023

–:: सहमति पत्र ::–

प्रेषक,

श्रीमती निर्जला कुमारी
निबंधक,
बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

सेवा में,

सचिव,
लाल देवी पारामेडिकल एवं नर्सिंग स्कूल, महावीर नगर, मधेपुरा रोड, सहरसा।

विषय :– सहमति पत्र के संबंध में।

प्रसंग :– स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के आदेश ज्ञापांक 1596(6), दिनांक 13.10.2023.

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक LDNP/2023/N3, दिनांक 16.10.2023 के आलोक में सूचित करना है कि स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार सरकार आदेश ज्ञापांक 1596(6), दिनांक 13.10.2023 के द्वारा आपके प्रशिक्षण संस्थान को जी०एन०एम० पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों के साथ नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

अतः विभागीय आदेश ज्ञापांक 1596(6), दिनांक 13.10.2023 के द्वारा संबंधित संस्थान को निर्गत मान्यता की सहमति के साथ एक सत्र (2023–24) का निर्धारण किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह०/–
(निर्जला कुमारी)
निबंधक

ज्ञापांक–सं०सं०–58/बी.एन.आर.सी./2023 2729/स्वा०, पटना, दिनांक 18/10/2023

प्रतिलिपि:– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मिठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)–सह–अध्यक्ष, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना, को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधक

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30/01/2024

अ.सं.: संब.–6032(पार्ट–I)/2023–95/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–**29.01.2024** को गैर–सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारोपरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर–सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से **सत्र–2023–24** हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl. No.	Name of Institute	District	Course	No. of Seat
1	2	3	4	5
1	Rajaryan Nursing & Paramedical College	Nalanda	GNM	100
2	Yashoda College of Higher Studies	Vaishali	ANM	100
3	Prasad Nursing Institute	Muzaffarpur	GNM	60
4	St. Stephene's College of Nursing	Supaul	ANM	60
			GNM	60
5	Lal Devi Nursing and Paramedical Institute	Saharsa	GNM	60
6	Varma College of Nursing and Paramedical Science	Bhojpur	GNM	100
7	Baidyanath College of Education	Nawada	ANM	60
8	St. Mary Nursing Institute	Aurangabad	ANM	60
9	Shree Balaji Institute of Nursing & Paramedical	Seikhpura	ANM	100
			GNM	60

<u>नियम एवं शर्त्तेः–</u>

1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा–8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तों के अधीन होगी।
3. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान को सत्र–2023–24 हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र–2023–24 में बिना स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त प्राप्त किए नामांकन नहीं लेंगे।
4. सभी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना द्वारा मान्यता संबंधी पत्र में अध्यारोपति शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
5. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
6. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा Apex Regulatory Body से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।

7. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।
8. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
9. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
10. विश्वविद्यालय/Concerned Apex Regulatory Body/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एंव अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
11. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/ Concerned Apex Regulatory Body के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
12. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
13. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

वि.कु.झा 30/01/2024

(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब0–6032(पार्ट–I)/2023– 95 **/पटना, दिनांक** 30/01/2024

प्रतिलिपि–प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबधित नर्सिंग संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वि.कु.झा 30/01/2024
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब0–6032(पार्ट–I)/2023– 95 **/पटना, दिनांक** 30/01/2024

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख(नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाऍ, बिहार, पटना/सचिव, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

वि.कु.झा 30/01/2024
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब0–6032(पार्ट–I)/2023– 95 **/ पटना, दिनांक** 30/01/2024

प्रतिलिपि–डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/डीन(नर्सिंग)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/ कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

वि.कु.झा 30/01/2024
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

आ0सं0–6 / एन0–08–144 / 2018–.......... / पटना–15, दिनांक–..............................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–1023(6), दिनांक–10.10.2018 द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4(ii) के आलोक में श्री नारायण फाउण्डेशन ट्रस्ट, राठौर भवन, नियर आजाद चौक, गंगजला, सहरसा–852201 द्वारा प्रस्तावित लाल देवी पारामेडिकल एवं नर्सिंग स्कूल, महावीर नगर, मधेपुरा रोड, सहरसा को जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 – विभागीय आदेश ज्ञापांक–876(6), दिनांक–15.07.2019 द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु डॉ0 प्रमोद झा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 – विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त लाल देवी पारामेडिकल एवं नर्सिंग स्कूल, महावीर नगर, मधेपुरा रोड, सहरसा को नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4 (iii) के आलोक में जी0एन0एम0 पाठयक्रम में 60 (साठ) सीटो पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:–

(क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों / निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा। भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना Suitability Report प्राप्त कर लेगें।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र / छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ङ) नर्सिंग संस्थान बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, कोसी प्रमंडल, सहरसा (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(शैलेश कुमार)
उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

क्रमशः

ज्ञापांक : 6/एन0–08–144/2018...1596(6)   पटना दिनांक - 13/10/2023

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ला, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, कोसी प्रमंडल, सहरसा/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, लाल देवी पारामेडिकल एवं नर्सिंग स्कूल, महावीर नगर, मधेपुरा रोड, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 10/11/2023

अ०सं०:संब०–6032/2023–766/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–**04.11.2023** को गैर–सरकारी पारामेडिकल महाविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर–सरकारी पारामेडिकल महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र–2023–24 हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl No.	Name of the Para Medical Institute	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1.	Ambedkar Institute of Higher Education	Patna	Diploma in Physiotherapy	60
			Diploma in Sanitary Inspector	60
			Diploma in Medical Laboratory Technology	60
			Diploma in OT Assistant	60
			Certificate in Medical Dresser	60
2.	Gurudeo College of Nursing and Paramedical Science	Vaishali	Diploma in Medical Laboratory Technology	60
			Diploma in X-Ray Technician	60
			Diploma in OT Assistant	60
			Certificate in Medical Dresser	120
3.	Gurudeo Paramedical College	Patna	Diploma in Medical Laboratory Technology	60
			Diploma in X-Ray Technician	60
			Diploma in OT Assistant	60
			Certificate in Medical Dresser	60
4.	Gyansarover Vidyapeeth	Patna	Certificate in Medical Dresser	60
			Diploma in Medical Laboratory Technology	60
			Diploma in X-Ray Technician	60
			Diploma in OT Assistant	60
5.	Himalaya College of Paramedics	Patna	Diploma in Radio Imaging Technology	60
			Diploma in OT Assistant	60
			Diploma in Occupational Therapy	60
			Certificate in Medical Dresser	120
6.	Maa Kamla Chandrika Jee Vidyapeeth	Jahanabad	Diploma in Medical Laboratory Technology	60
			Diploma in OT Assistant	60
			Certificate in Medical Dresser	60
			Diploma in X-Ray Technician	60
7.	Mahavir Cancer Sansthan	Patna	DRT/Diploma in Radio Therapy	10
8.	Maulana Minnatullah Rahmani Technical Institute	Patna	Diploma in Medical Laboratory Technology	50

9.	Ramchandra Vidyapeeth	Saharsa	Certificate in Medical Dresser	60
			Diploma in Medical Laboratory Technology	60
			Diploma in X-Ray Technician	60
10.	Ram Sakhi Devi Institute of Paramedical Science	Patna	Diploma in Physiotherapy	60
			Diploma in Occupational Therapy	60
			Diploma in Orthotics & Prosthetics	60
			Diploma in OT Assistant	60
			Diploma in Ophthalmic Assistant	60
			Diploma in Medical Laboratory Technology	60
			Diploma in Sanitary Inspector	60
			Diploma in X-Ray Technician	60
			Diploma in ECG Technician	60
			Diploma in Hearing Language & Speech	60
11.	National Institute of Health Education and Research	Patna	Diploma In ECG Technician	35
			Diploma in Sanitary Inspector	30
			Certificate in Medical Dresser	25
			Diploma in Medical Laboratory Technology	35
12.	Shri Sai College of Nursing and Paramedical	Patna	Diploma in OT Assistant	60
			Diploma in Medical Laboratory Technology	60
13.	Patna Institute of Nursing and Paramedical Science	Patna	Diploma in Physiotherapy	40
			Diploma in Medical Laboratory Technology	50
			Diploma in OT Assistant	40
			Diploma in X-Ray Technician	40
			Certificate in Medical Dresser	60
			Diploma in Sanitary Inspector	40
			Diploma In ECG Technology	40
			Diploma in Occupational Therapy	50
14.	Gautam Institute of Nursing and Paramedics	Nalanda	Diploma in Medical Laboratory Technology	60
			Diploma in OT Assistant	60
			Diploma in Food, Nutrition/Dietician	60
			Certificate in Medical Dresser	60
			Diploma in Physiotherapy	60
15.	Lal Devi Nursing and Paramedical Institute	Saharsa	Diploma in Medical Laboratory Technician	60
			Diploma in OT Assistant	60
			Diploma in Ophthalmic Assistant	60
			Certificate in Medical Dresser	60
			Diploma in X-ray Technician	60
			Diploma in ECG Technician	60
			Diploma in Sanitary Inspector	60
16.	MGM College of Nursing and Paramedical	Patna	Diploma in Medical Laboratory Technology	60
			Diploma in Occupational Therapy	60
			Diploma in X-ray Technician	60
17.	Krishna Institute of Higher Education	Patna	Diploma in OT Assistant	60
18.	Dhanarua School of Nursing & Paramedical	Patna	Certificate in Medical Dresser	60

<u>नियम एवं शर्तेः—</u>

1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तों के अधीन होगी।
3. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा सत्र–2022–23 का संबद्वता पत्र समर्पित नहीं किया गया है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान नामांकन लेने के पूर्व सत्र–2022–23 का संबद्वता पत्र समर्पित करेंगे।
4. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा सत्र–2023–24 हेतु संबंधित संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से नामांकन की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र–2023–24 में बिना स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अनुमति प्राप्त किए नामांकन नहीं लेंगे। नामांकन की अनुमति प्राप्त होने पर अविलंब इसकी एक प्रति यथाशीघ्र विश्वविद्यालय में समर्पित करेंगे।
5. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
6. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।
7. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
8. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
9. विश्वविद्यालय/स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एंव अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
10. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/ PCI, New Delhi के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
11. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
12. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार
10/11/2023
(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब॰–6032/2023–766/ पटना, दिनांक 10/11/2023

प्रतिलिपि–प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित पारामेडिकल महाविद्यालय/संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

10/11/2023
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं॰–6032/2023– 766 **/ पटना, दिनांक** 10/11/2023

प्रतिलिपि–डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/डीन(फार्मेसी)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी /कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

10/11/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं॰–6032/2023– 766 **/ पटना, दिनांक** 10/11/2023

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

10/11/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

ज्ञाप सं0–1/पा0मे0–06/2016– 868(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 3/8/2018

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–1028(1) दिनांक–31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–1388(1), दिनांक–04.10.2016 द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त प्रतिवेदन तथा क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ कोशी प्रमण्डल, सहरसा के पत्रांक–83(1), दिनांक–18.06.2018 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री नारायण फाउण्डेशन ट्रस्ट, सहरसा द्वारा संचालित लाल देवी नर्सिंग एण्ड पारामेडिकल संस्थान, महावीर नगर, भेरधरी, सहरसा को निम्नांकित 7 (सात) विषयों में उनके सम्मुख अंकित सीटों के साथ, अगले आदेश तक के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ पारा मेडिकल डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है–

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (DOTA)	60 (साठ)
2	डिप्लोमा इन ऑफ्थेलमिक असिस्टेंट (DOA)	60 (साठ)
3	डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी (DMR)	60 (साठ)
4	डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नीशियन (DMLT)	60 (साठ)
5	डिप्लोमा इन ई0सी0जी0 टेक्नीशियन (DECG)	60 (साठ)
6	डिप्लोमा इन सैनिटरी इन्सपेक्टर (DSI)	60 (साठ)
7	सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर (CMD)	60 (साठ)

2– स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–1028(1), दिनांक–31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निर्धारित शर्त्तों का अनुपालन मैनेजिंग ट्रस्टी, श्री नारायण फाउण्डेशन ट्रस्ट, सहरसा द्वारा संचालित लाल देवी नर्सिंग एण्ड पारामेडिकल संस्थान, महावीर नगर, भेरधरी, सहरसा के द्वारा किया जायेगा।

3– सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियम परिनियम का पालन संस्थान द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

4– बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 के नियम–5(ii) के आलोक में संस्थान को प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक रुपये 5,000/–(रुपये पाँच हजार) का शुल्क सामान्य वार्षिक जाँच के लिए जमा करना अनिवार्य होगा।

5– भविष्य में संस्थान के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक बात जाँचोपरान्त पाई जायेगी तो वैसी स्थिति में सरकार संस्थान की मान्यता वापस ले लेगी।

6– सरकार द्वारा पारा मेडिकल विषयों में निर्गत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र पर सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
03/08/18
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

क्रमशः